

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

सं०सं०-01/स्था० (विविध)-34/2022 **9090** /न०वि०एवंआ०वि०, पटना, दिनांक-**28/08/26**

बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), वाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना द्वारा आयोजित सांस्थिक अभिमुखीकरण प्रशिक्षण में भाग लेने के फलस्वरूप संबंधित नगर निकाय का प्रभार बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-41 के अन्तर्गत निम्न विवरणी के कॉलम-2 में अंकित पदाधिकारियों को अपने कार्यों के अतिरिक्त कॉलम-3 में अंकित नगर निकाय का प्रभार दिया जाता है :-

क्र०	नाम, पदनाम एवं नगर निकाय का नाम	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3
1	सुश्री रानी कुमारी, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, चौसा	नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, इटाढ़ी
2	श्री मुकेश कुमार राज, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, हसनपुरा	नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, गोपालपुर
3	श्री नवीन कुमार, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सोनवर्षा	नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सौरबाजार
4	श्री मनीष कुमार, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, रक्सौल	नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सुगौली

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

(मनन राम)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था० (विविध)-34/2022 **9090** /न०वि०आ०वि०, पटना/दिनांक-**28/08/26**
प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/सहरसा, सिवान/बक्सर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित सभी नगर कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई० टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनन राम)

सरकार के विशेष सचिव।